(107)

समाहरणालय, मधेपुरा

आपदा प्रबंधन शाखा

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-24/आ0प्र0, दिनांक-06.06.2013 द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101- अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड-N2245021010010 मद में मो0 3,00,000/-(तीन लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को अंचल अधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त अधियाचना के आधार पर संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/ पदाधिकारी को उपावंटित किया जाता है:-

क्र0	उपावंटन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटित राशि
1.	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	-	3,00,000/-	3,00,000/-

मो0 तीन लाख रूपये मात्र

आवंटन की शर्त्तें

1. उपरोक्त आवंटन मधेपुरा अंचल में दिनांक-04.06.2013 की संध्या 8.30 बजे आये आंधी तुफान के दौरान वज्रपात गिरने के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561[वि0(2)]17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101- अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड-N2245021010010 मांग सं0-39 यूनिट कोड-4201 एक मुश्त प्रावधान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
4. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-1293/आ0प्र0, दिनांक-17.04.2012 के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय। अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
5. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करायी जाय।
6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2014 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

O/C

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-163-2/आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक-15-6-2013

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, मधेपुरा/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।